भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2548

(04 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई के तहत परियोजनाओं में देरी

2548. श्री बलवंत बसवंत वानखडे:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्त वर्ष 2020-21 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत जारी की गई निधि, उपयोग की गई निधि और कम उपयोग के कारण शेष बिना खर्च की गई निधि तथा परियोजना में देरी का राज्य-वार और संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पूर्ण होने के लिए लंबित पीएमजीएसवाई परियोजनाओं की कुल संख्या कितनी है और उनकी स्वीकृति की मूल तिथि, पूर्ण होने की मूल समय-सीमा और पूर्ण होने के वर्तमान चरण का राज्य-वार, संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) मूल स्वीकृत लागत, संशोधित अनुमानित लागत और कुल लागत अतिरेक सहित लागत में वृद्धि वाली विलंबित पीएमजीएसवाई परियोजनाओं का राज्य-वार और संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) वित्त वर्ष 2020-21 से समाप्त या रद्द की गई पीएमजीएसवाई परियोजनाओं और प्रत्येक परियोजना के लिए ऐसे रद्दीकरण के कारण लागत में वृद्धि का राज्य-वार, संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 2025 में स्थायी समिति द्वारा यथोल्लिखित, जनगणना 2011 की जनसंख्या स्त्रोत पर निर्भरता के कारण पीएमजीएसवाई-IV की पात्रता से बाहर की गई बस्तियों का राज्य-वार और संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) वित्तीय वर्ष 2020-21 से 27.07.2026 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत जारी की गई निधियों, उपयोग की गई निधियों और अव्ययित शेष राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है। पीएमजीएसवाई कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्यादेश जारी होने की तिथि से कार्यों को पूरा करने के लिए निर्धारित मानक समय-सीमाएं इस प्रकार हैं:

i. मैदानी क्षेत्रों में सड़क कार्य: 12 कामकाजी महीने (या जहां किसी पैकेज में एक से अधिक सड़क कार्य शामिल हों, वहां 18 कैलेंडर महीने)।

ii. पहाड़ी क्षेत्रों/पहाड़ी राज्यों में सड़क कार्य: भू-भाग और मौसमी बाधाओं को ध्यान में रखते हुए सड़क कार्यों के लिए 18 कैलेंडर महीने तक।

iii. पुल कार्य (क्रॉस ड्रेनेज कार्य/लंबे पुल): स्थल की स्थितियों और संरचनात्मक जटिलता के आधार पर 25 मीटर से अधिक लंबाई वाले पुलों के लिए 18 से 24 कैलेंडर महीने।

कुल लक्ष्य में से स्वीकृत, पूर्ण तथा कार्यान्वयन के वर्तमान चरण में जारी परियोजनाओं का ब्यौरा वेब-आधारित ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी एवं लेखांकन प्रणाली (ओएमएमएएस) पोर्टल https://pmgsy.dord.gov.in **>>** Proposals **>>** State wise List of Roads पर देखा जा सकता है।

(ख) पीएमजीएसवाई परियोजनाओं की कुल संख्या जो पूर्णता हेतु लंबित हैं, उनकी स्वीकृति की मूल तिथियां और कार्यान्वयन के वर्तमान चरण से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी एवं लेखांकन प्रणाली (ओएमएमएएस)** पोर्टल पर गतिशील रूप से अद्यतन एवं अनुरक्षित किया जाता है और इसे https://pmgsy.dord.gov.in **>>** Proposals **>>** State wise List of Roads पर देखा जा सकता है।

कार्यक्रम पूर्णता समय-सीमाओं के संबंध में, विभिन्न चरणों के लिए स्वीकृत मानक समाप्ति तिथियां इस प्रकार हैं:

(i) पीएमजीएसवाई-I एवं आरसीपीएलडब्ल्यूईए: सभी शेष, चालू परियोजनाओं की पूर्णता की समाप्ति तिथि मार्च 2027 तक बढ़ा दी गई है।

(ii) पीएमजीएसवाई-II: इस वर्टिकल के अंतर्गत लंबित कार्यों की पूर्णता के लिए विस्तारित कार्यान्वयन अवधि 31 मार्च, 2026 को समाप्त हो गई।

(iii) पीएमजीएसवाई-III: मैदानी क्षेत्रों में मानक सड़क कार्यों एवं पुलों तथा पहाड़ी राज्यों में सड़कों की पूर्णता के लिए स्वीकृत समय-सीमा मार्च 2028 है। तथापि, अत्यधिक इंजीनियरिंग जटिलताओं और कामकाजी मौसम को ध्यान में रखते हुए, पहाड़ी क्षेत्रों में लंबे पुलों (एलएसबी) के लिए पूर्णता की समय-सीमा मार्च 2029 तक बढ़ा दी गई है।

(iv) पीएमजीएसवाई-IV: समय-सीमा मार्च 2029 तक है।

(ग) एवं (घ) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्रचलित दर अनुसूची (एसओआर) के आधार पर तैयार की जाती हैं। मंत्रालय इन्हीं आकलनों के आधार पर स्वीकृति प्रदान करता है और परियोजना लागतों को मंजूरी देता है।

पीएमजीएसवाई दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्यक्रम निश्चित समय-सीमा रूपरेखा के अंतर्गत कार्य करता है। स्वीकृत लागत में वृद्धि अथवा समय वृद्धि के कारण लागत वृद्धि के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है। परियोजना विलंब, कार्यान्वयन वृद्धि अथवा स्वीकृत लागत से अधिक पर आमंत्रित निविदाओं के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी लागत वृद्धि का वहन संबंधित राज्य सरकार को अपने स्वयं के बजटीय संसाधनों से करना होगा।

(ङ) पीएमजीएसवाई-IV का प्राथमिक उद्देश्य जनगणना 2011 के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 500+, विशेष श्रेणी राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड) में 250+, विशेष श्रेणी क्षेत्रों [अनुसूची-V जनजातीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, आकांक्षी प्रखंड/जिले और संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पहाड़ी क्षेत्र (25% से अधिक क्रॉस ढलान और समुद्र तल से 600 मीटर से अधिक ऊंचाई)] तथा गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा समय-समय पर चिह्नित किए गए लिगेसी एवं थ्रस्ट जिलों सहित एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों में 100+ जनसंख्या आकार वाली लगभग 25,000 संपर्कविहीन ग्रामीण बसावटों को 62,500 किलोमीटर बारहमासी सड़कों के निर्माण के माध्यम से बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान करना है। योजना की समय-सीमा वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक है, जिसकी कुल परिव्यय राशि 70,125 करोड़ रुपये है (केंद्रीय अंश: 49,087.50 करोड़ रुपये और राज्य अंश: 21,037.50 करोड़ रुपये)।

अनुबंध

दिनांक 04.08.2026 को लोक सभा में उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2548 के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध।

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 27.07.2026 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत जारी की गई निधियों, उपयोग की गई निधियों और अव्ययित शेष राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा:

(राशि करोड़ रुपये में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी केंद्रीय हिस्सा 27.07.2026 तक	व्यय (राज्य हिस्से सहित) 27.07.2026 तक	अव्ययित शेष राशि 27.07.2026 तक
अंडमान और निकोबार	41.04	59.22	0
आंध्र प्रदेश	1594.23	2958.96	0
अरुणाचल प्रदेश	4561.03	5843.49	0
असम	5572.39	7363.49	0
बिहार	4518.73	11847.61	0
छत्तीसगढ़	3768.19	6394.69	0
गोवा	0.00	0.00	0
गुजरात	1209.67	2036.00	0
हरियाणा	622.99	1078.84	0
हिमाचल प्रदेश	4309.08	5512.19	0
जम्मू और कश्मीर	6562.57	6497.91	0
झारखंड	2551.95	5859.10	0
कर्नाटक	1684.84	3691.18	0
केरलम	540.52	990.69	0
लद्दाख	545.42	1002.10	9.04
मध्य प्रदेश	5908.97	9560.29	0
महाराष्ट्र	3320.44	6242.68	0
मणिपुर	2124.33	2280.87	0
मेघालय	2057.64	2516.98	0
मिजोरम	1098.20	1611.28	0
नागालैंड	643.72	715.12	0
ओडिशा	4711.69	8474.00	0

पुदुचेरी	72.08	61.28	0
पंजाब	1021.69	1948.09	2.9
राजस्थान	2457.80	4242.26	0
सिक्किम	859.75	1057.54	0
तमिलनाडु	2914.99	5375.15	0
तेलंगाना	1070.51	2490.53	0
त्रिपुरा	936.34	880.62	0
उत्तर प्रदेश	8414.60	12953.38	4.3
उत्तराखंड	5456.74	6418.07	0
पश्चिम बंगाल	2376.88	4484.10	0
कुल	**83529.00**	**132447.73**	**16.24**
